



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2013/माघ 30, 1934

No. 378]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2013/MAGHA 30, 1934

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2013

का.आ. 409(अ).—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा (3) की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 फरवरी, 2013 पूर्वाह्न से श्री विवेक रे, सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को श्री जी. सी. चतुर्वेदी के स्थान पर तेल उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, या अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करती है।

[फा. सं. जी-35012/2/91-वित्त-II]

ओ. पी. बनवारी, उप-सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL
GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2013

S.O. 409(E).—In exercise of the Powers conferred by Sub-section (4) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints, with effect from the forenoon of the 1st February, 2013 and until further orders, Shri Vivek Rae, Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas as the Chairman of the Oil Industry Development Board Vice Shri G. C. Chaturvedi.

[F.No. G-35012/2/91-Fin.II]

O.P. BANWARI, Under Secy